भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **262**
दिनांक **24** जून, 2019

एलपीजी पुनर्भरण संयंत्र

262 डॉ॰ हिना वजय कुमार गावीतः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ अमोल राम संह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सु प्रया सदानंद सुलेः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) देश के व भन्न भागों में तेल वपणन कंपनियों द्वारा कतने गैस सलेंडर पुनर्भरण संयंत्र स्था पत कए गए हैं और गत तीन वर्षों अैर चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक संयंत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उत्पादन और वतरण संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कुछ राज्य गैस स लंडरों के लए पुनर्भरण संयंत्रों की कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या देश में गैस स लंडरों के लए नए पुनर्भरण संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार के पास कोई नए प्रस्ताव हैं;
(ग) क्या सरकार सं वदा के आधार पर निजी कंपनियों को क्षतिग्रस्त गैस सलेंडरों के मरम्मत संबंधी कार्य सौंपती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स लंडरों के मरम्मत कार्य में कतनी निजी कंपनियां कंपनी-वार शा मल हैं; और
(घ) क्या निजी कंपनियां इस संबंध् में सरकार द्वारा तय मानदंडों का अनुसरण कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है क दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार वे पूरे देश में 18338 टीएमटी की भरण क्षमता के साथ 192 भरण संयंत्रों का प्रचालन कर रही हैं। राज्य/संघ शा सत राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) ओएमसीज ने यह भी बताया है क कोई भी राज्य भरण संयंत्रों की कमी का सामना नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) ओएमसीज स लंडरों की हॉट रिपेयर करने के लए निजी वक्रेताओं को सं वदाएं प्रदान करती हैं। क्षतिग्रस्त स लंडरों का उपयोग उन वक्रेताओं के परिसरों में हॉट रिपेयर का कार्य करने के बाद ही कया जा सकता है जिनके पास स लंडरों की हॉट रिपेयर के लए पेट्रो लयम और वस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अनुमोदित सु वधाएं हों। हॉट रिपेयर संबंधी कार्यकलाप वक्रेताओं द्वारा आईएस 13258 मानकों के अनुसार कए जाते हैं और बैच दर बैच आधार पर बीआईएस द्वारा उनका निरीक्षण कया जाता है और अनुमोदन कया जाता है।

*****

अनुलग्नक

"एलपीजी पुनर्भरण संयंत्र" के बारे में डॉ. हिना गे वत और अन्य द्वार दिनांक 24.06.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या 262 के भाग (क) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक

दिनांक **01.04.2019** की स्थिति के अनुसार भरण संयंत्रों के क्षमता सहित राज्य/संघ शा सत राज्य-वार ब्यौरे

राज्य/संघ शा सत राज्य	भरण संयंत्रों की संख्या	भरण क्षमता (टीएमटीपीए)
चंडीगढ़	**0**	**0**
दिल्ली	**2**	**420**
हरियाणा	**6**	**840**
हिमाचल प्रदेश	**2**	**90**
जम्मू और कश्मीर	**4**	**155**
पंजाब	**6**	**720**
राजस्थान	**11**	**900**
उत्तर प्रदेश	**25**	**2442**
उत्तराखंड	**3**	**180**
अरुणाचल प्रदेश	**1**	**11**
असम	**7**	**593**
म णपुर	**1**	**30**
मेघालय	**0**	**0**
मजोरम	**1**	**11**
नगालैंड	**1**	**11**
सक्किम	**1**	**11**
त्रिपुरा	**1**	**21**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**1**	**11**
बिहार	**6**	**840**
झारखंड	**4**	**312**
ओ डशा	**4**	**420**
पश्चिम बंगाल	**10**	**1085**
छत्तीसगढ	**3**	**210**
दादर और नागर हवेली	**0**	**0**
दमन और दीव	**0**	**0**
गोवा	**2**	**60**
गुजरात	**11**	**960**
मध्य प्रदेश	**9**	**780**
महाराष्ट्र	**20**	**2040**
आंध्र प्रदेश	**9**	**840**
कर्नाटक	**11**	**1450**
केरल	**7**	**690**
लक्षद्वीप	**0**	**0**
पुदुच्चेरी	**1**	**23**
त मलनाडु	**17**	**1552**
तेलंगाना	**5**	**630**
अ खल भारत	**192**	**18338**